



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1504]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2016/ज्येष्ठ 25, 1938

No. 1504]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2016/JYAISTHA 25, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2016

का.आ. 2116(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 12° 34' और 12° 50' उत्तरी अक्षांश तथा 77° 31' और 77° 38' पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है तथा 260.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक राज्य और दक्षिण में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा और थाली, थाली विस्तार, तमिलनाडु राज्य में ज्वालागिरि सुरक्षित वन के साथ दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है इसके दक्षिण-पूर्वी सीमाओं

पर एक निकटस्थ वन्यजीव के लिए आवास बनाया गया जो लगभग - 1400 वर्ग किलोमीटर में हाथियों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए सम्पूर्ण मुख्य का लघु वास है ;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती थाली आरक्षित वन "मैसूर हाथी आरक्षित" के उत्तरी भाग के सीमावर्ती बिंदु पर प्रवास बृहद स्तनधारी-एशियन हाथियों का निवास है जो कि कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के निकटस्थ है। इस क्षेत्र में प्रचुर वनस्पति और जीव जंतु विविधता है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की प्रजनन जनसंख्या और तेंदुआ, जंगली कुत्ते, गौर, सांभर, चीतल, रीछ, तवांगु, औरियंटल वाइट रैम्पड् गिद्ध, लौंग बिल्ड गिद्ध, पिली बुलबुल, और अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों का भी संभरण है;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र घाटियों में नदी तटीय और आर्द्र पर्णपाती वास के साथ शुष्क पर्णपाती और झाड़ी वनों से ढंका हुआ है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों में मुख्य वानस्पतिक प्रजातियों में एनोगेइसियसलटिफोलिया, अकाकिया कैटेचु, अकाकिया लिउकोफोलिया, टेक्टोनाग्रान्डिस, सैंटालम एलबम, शोरेयाटालुरा, अज़ादिराचटैडिका, टरमिनिलियापनीकुलाटा, टरमिनिलियाचेबुला, टरमिनिलियाटोमेनटोसा, डलबेरगियालालटिफोलिया, लगेरस्ट्रोमियालामसियोलाटा, जिज़िफुसजुजुबा, डेनड्रोकलामसट्रीकटस और अन्य सम्मिलित हैं ;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान अरकावथी, सुर्वनामुखी, मुथयालामादवु छिद्र, रायथामाला छिद्र, हेब्बालाहल्ला छिद्र और अंधरागंगे नदी के लिए जलसंभर क्षेत्र महत्वपूर्ण है यह कावेरी नदी से जुड़ता है ;

और, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 4.5 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न रूप से विस्तारित क्षेत्र को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 268.96 है, जो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 4.5 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न रूप से विस्तारित है और उस जोन की सीमा के ब्यौरे **उपाबंध-I** में दिए गए हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 77 ग्राम आते हैं तथा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के अंतर्गत 17 हेमलेट (बस्तियां) आती हैं, जिनका विवरण **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है। सभी अनुलग्नक क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन का भाग हैं।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र, उसकी सीमा के ब्यौरों तथा अक्षांश और देशांतरों सहित **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन और साथ ही अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख अवसानों (जीपीएस बिन्दुओं) के ब्यौरे **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने का सुनिश्चय करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 10, 18, 24, 30 और 31 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं; और
- (v) वर्षा जल संचय :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवासन के सिवाय बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** -परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और वैयक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
8.	प्लास्टिक की थैलियों की उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की

		सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर, इनमें से जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
12.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में बहिस्त्राव और ठोस अपशिष्ट या निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	भूजल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना में विहित अनुदेशों का पालन किया जाएगा ।
17.	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	(i) भूमिगत तारों के बिछाने का संवर्धन किया जाएगा । (ii) विद्यमान घरेलू लाइने-यदि वह भूमि से ऊपर हे तो उनकी ऊंचाई < 20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट और > 30 डिग्री ढाल के लिए यह ऊंचाई भूमि से 30 फुट होनी चाहिए । (iii) 11 केवी तक के घरेलू प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रिक लाइनों का कोई भावी बिछाया जाना भूमिगत होगा ।

		(iv) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए 2 टावरों के बीच "सैग" बिन्दू भूमि से कम से कम 15 मीटर होना चाहिए।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
19.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वन्य जीवों विशेषकर बड़ी प्रजातियों, जैसे हाथी, बाघ आदि के संचलन को बाधित न करे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

कर्नाटक राज्य के लिए मानीटरी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|------|--|----------|
| i) | क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर क्षेत्र, मैसूर | —अध्यक्ष |
| ii) | पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि | —सदस्य |
| iii) | शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि | —सदस्य |

iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	—सदस्य
v)	क्षेत्रीय अधिकारी, मैसूर, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य
vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	—सदस्य
vii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, बंगलौर शहरी जिला	—सदस्य
viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, रामनगर जिला	—सदस्य
ix)	वन उप-संरक्षक, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बंगलुरु	—सदस्य-सचिव।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/12/2016-ईएसजेड/आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर: बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा जी पी एस अवस्थान 12.844 उ, 77.584 पू के साथ बिन्दु से आरंभ होकर, पील्लागानाहल्ली ग्राम में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी प्रमुख सीमा से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीमा इसके बाद बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ 100 मीटर की दूरी बनाकर पूर्व

की ओर मुड़कर और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़ती है फिर यह बनेरघट्टा ग्राम सीमा से कलरेरे के उत्तरी जंक्शन को छूती है और बनेरघट्टा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण दूरी में मुड़ती है फिर यह गोलाहल्ली ग्राम की उत्तरी प्रमुख सीमा को छूती है और गोलाहल्ली ग्राम की उत्तर और पूर्व सीमा के साथ मुड़कर फिर यह बनेरघट्टा ग्राम सीमा को छूती है और इसके बाद बनेरघट्टा की सीमा और पूर्व की ओर मुड़कर फिर यह बनेरघट्टा और मनटापा ग्राम के उत्तरी जंक्शन को छूती है । और इसके बाद मनटापा ग्राम की उत्तरी और पूर्वी सीमा का अनुगमन होता है । मनटापा और बगीहल्ली ग्राम सीमा के जंक्शन बिंदु से ऊपर जाती है, इस बिंदु से ऊपर की ओर यह बगीहल्ली ग्राम की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर, फिर यह बगीहल्ली और बुक्कासंदरा ग्राम के जंक्शन बिंदु को छूती है । इसके बाद यह बुक्कासंदरा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर, फिर ऊपर की ओर कल्लाबलू ग्राम सीमा को छूती है और कल्लाबलू ग्राम की पूर्वी और उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर मुड़कर, फिर यह महानथालिंगापुरा ग्राम सीमा को छूकर और महानथालिंगापुरा की पूर्वी सीमा के साथ जाती है । फिर यह कदुजाक्कानाहल्ली ग्राम की सीमा को छूकर और कदुजाक्कानाहल्ली ग्राम सीमा के साथ पूर्व की ओर मुड़कर इसके अतिरिक्त यह उसी सीमा के साथ दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर मुड़कर यह बगगानादोद्दी ग्राम की सीमा को छूती है । इस बिंदु से ऊपर की ओर यह बगगानादोद्दी ग्राम की सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर यह इंदलावदी ग्राम की सीमा को छूकर और इंदलावदी ग्राम की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर फिर यह इंदलावदीपुरा की उत्तरी सीमा को छूती है । इस बिंदु से यह इंदलावदीपुरा की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर फिर यह चिक्काहोसाहल्ली ग्राम सीमा को छूकर और इसके बाद यह चिक्काहोसाहल्ली ग्राम की पूर्वी ओर उत्तरी सीमा के साथ मुड़कर फिर यह थम्मानायकानाहल्ली सीमा को छूती है । इसके बाद यह थम्मानायकानाहल्ली की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर फिर यह तमिलनाडु सीमा को छूती है ।

पूर्व: इसके बाद यह बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा के साथ जाती है फिर यह थेरुवीडी की सीमा पहुँच कर और इसके बाद थेरुवीडी ग्राम की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर मुड़ती है । फिर यह तमिलनाडु और कर्नाटक की अंतर-राज्य सीमा को छूती है और इसके बाद पुनः बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर फिर यह गत्तीगुण्डा ग्राम सीमा को छूकर और इसके बाद यह गत्तीगुण्डा की पूर्वी सीमा के साथ मुड़कर फिर यह कौलागौदानहल्ली और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के त्रि-जंक्शन बिंदु को छूती है और इस बिंदु से ऊपर की ओर उद्यान सीमा के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा साथ-साथ जाती है फिर यह हुनसन्हल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा को छूती है ।

दक्षिण: सीमा हुनसन्हल्ली ग्राम के उत्तर पूर्वी भू-भाग से आरंभ होकर और हुनसन्हल्ली, बालागोन्दापाहल्ली, थाट्टेकेरे और बैन्नीमकोदलु ग्राम की दक्षिणी सीमा में सम्मिलित सभी ग्रामों के साथ मुड़कर फिर यह बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा को छूकर और इस सीमा के साथ मुड़कर यह गोद्दावीरनहोसाल्ली ग्राम की सीमा को छूती है ।

पश्चिम: पश्चिमी सीमा जीपीएस अवस्थान से आरंभ होकर जो गोद्दावीरनहोसाल्ली ग्राम में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा से 100 मीटर की दूरी पर है और गोद्दावीरनहोसाल्ली ग्राम और सलबान्नी ग्राम में 100 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान सीमा के साथ उत्तरी की ओर मुड़कर फिर यह अनेकादाबुरु और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के जंक्शन को छूती है इस बिंदु से ऊपर की ओर अनेकादाबुरु की सीमा के साथ जाती है फिर यह होसादुर्गा, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और अनेकादाबुरु के त्रि-जंक्शन बिंदु को छूती है । इस बिंदु से ऊपर की ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा रेखा 100 मीटर की दूरी पर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा होसादुर्गा, बोम्मासंदरा, बिजाहल्ला, तीपीतुरा, हेरान्दयापनाहल्ली से होते हुए बराबर जाती है, फिर यह हंछागुली ग्राम की सीमा को छूती है । यहाँ से रेखा हंछागुली और हालासुरु ग्राम की दक्षिणी सीमाओं के साथ पश्चिमी दिशा में जाती है फिर यह दोद्दाहल्ली, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और हालासुरु के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँचती है और यहाँ से रेखा दोद्दागुली ग्राम से होते हुए 100 मीटर की दूरी पर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के बराबर जाती है फिर यह अरकेरे ग्राम सीमा को छूती है । यहाँ से रेखा अरकेरे की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर और अरकेरे और दोदकबली ग्राम की पूर्वी सीमाओं के साथ जाती है फिर यह दादकबली, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और गरलापुरा के त्रि-जंक्शन बिंदु को छूती है । इस बिंदु से रेखा 100 मीटर की दूरी पर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के बराबर जाती है फिर यह बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, गरलापुरा और केब्बेहल्ली के त्रि-जंक्शन बिंदु पहुँच कर और इसके बाद केब्बेहल्ली ग्राम के दक्षिणी प्रमुख बिंदु जाती है । यहाँ से रेखा पश्चिमी सीमाओं के ग्रामों केब्बेलहल्ली, नारायनपुरा, बेकुप्पे, केरेलेल्लुसंद्रा, चकनाहल्ली, मवाथुर, बचोलहल्लीदोद्दी, मनियामबल, तोकासंद्रा, होसादोद्दी, देवनाहल्ली, दोद्दामनालावादी, यालाछोवादी, कल्लानाकुप्पे, कलानागुण्डी, थाट्टेकेरे के साथ जाती है और दक्षिणी सीमा के बिलीगानाकुप्पे, गोदुरु, अत्तीगुप्पे, जक्कासंद्रा के साथ दुबारा जाती है और इसके बाद पश्चिमी सीमा जक्कासंद्रा, गोट्टीगेहल्ली, वाद्दरापलाया और थाट्टेगुप्पे के साथ जाती है । इस बिंदु से यह

पूर्व दिशा में थाटेटेगुप्पे की उत्तरी सीमा के साथ मुड़कर फिर यह तरालु ग्राम सीमा को छूकर और तरालु और गोलाकमले की उत्तरी सीमा के साथ जाती है फिर यह भुथानाहल्ली ग्राम सीमा को छूती है। यहाँ से यह गुलकमले और भुथानाहल्ली ग्राम सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है फिर यह बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से दूर 100 मीटर बिंदु को छूती है। यहाँ से यह 100 मीटर की दूरी पर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा के बराबर उत्तर की ओर जाती है फिर यह पील्लीगनाहल्ली में आरंभिक बिंदु से जुड़ती है।

उपाबंध-II

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बैंगलोर दक्षिण, अनेक्ल और कनकपुरा तालुकों के अंतर्गत 83 निकटवर्ती ग्रामों (या ग्रामों का भाग) और पालियों के निम्नलिखित सूची दी गई है। निम्नलिखित निकटवर्ती ग्रामों को बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन की दूरी को तालिका में दर्शाया गया है।

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र की दूरी	तालुक	जिला	विस्तार (हेक्टे)	अक्षांश	देशांतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पिलीगनाहल्ली	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	0.180	12.83756	77.57968
2	गोट्टीगेरे	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	8.940	12.84203	77.58212
3	बसवानपुरा	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	13.420	12.84113	77.58992
4	होम्मादेवलाहल्ली	100 मीटर	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	12.420	12.83573	77.59442
5	कालकेरे	100 मीटर	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	37.970	12.82851	77.59234
6	वदेराहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	74.800	12.82523	77.60612
7	गोल्लाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	70.900	12.82013	77.59222
8	बनेरघट्टा	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	427.990	12.81003	77.58952
9	बायराप्पनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	136.360	12.79813	77.58562
10	मनतापा	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	432.090	12.80883	77.60712
11	बेगीहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	207.650	12.79213	77.61622
12	बुक्कासंदरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	344.540	12.77533	77.61202
13	कल्लाबालु	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	89.530	12.77173	77.61972
14	महालिंगापुरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	741.700	12.76033	77.62342
15	रगिहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	433.240	12.72323	77.59712
16	सिवानाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	965.850	12.72163	77.59842
17	कदुजक्कनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	372.240	12.73547	77.64429
18	बगनादोद्दी	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	583.880	12.73123	77.62722
19	थाट्टेकेरे	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	70.050	12.7174	77.59957
20	इंदलावदी	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेक्ल	बैंगलोर नगरीय	216.730	12.72693	77.64822

21	इंदलावदीपुरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेकल	बैंगलोर नगरीय	321.600	12.71293	77.64712
22	चिक्का होसाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेकल	बैंगलोर नगरीय	277.210	12.70911	77.67133
23	तम्मानयाकनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	अनेकल	बैंगलोर नगरीय	983.870	12.69187	77.65008
24	बिलवारादाहल्ली	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर नगरीय	35.640	12.82444	77.57511
25	भुथानाहल्ली	100 मीटर	अनेकल	बैंगलोर नगरीय	63.120	12.81493	77.55312
26	गुलकामले	संपूर्ण ग्राम सीमा	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	260.060	12.80533	77.52732
27	तरालु	संपूर्ण ग्राम सीमा	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	320.720	12.78723	77.52342
28	ततागुप्पे	संपूर्ण ग्राम सीमा	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	215.300	12.77953	77.52602
29	वद्वारा पालया	संपूर्ण ग्राम सीमा	बैंगलोर दक्षिण	बैंगलोर नगरीय	671.240	12.75173	77.51362
30	गोत्तीगेहाल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	724.970	12.7301	77.50427
31	जक्कासंदरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	544.300	12.69203	77.49992
32	गुल्लातीकवाल	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	241.170	12.68271	77.51925
33	अत्तीगुप्पे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	325.210	12.67371	77.51971
34	गोदुरु	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	318.090	12.66687	77.55212
35	बिलीगनाकुप्पे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	367.870	12.67313	77.55772
36	तत्तेकेरे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	400.320	12.66492	77.56091
37	कोलालागुनदी	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	385.200	12.65112	77.56451
38	कल्लानाकुप्पे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	740.060	12.62189	77.5545
39	कतरीनाथ	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	469.650	12.60973	77.57652
40	यलाचवदी	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	1011.650	12.6037	77.55267
41	दोद्दामनालवदी	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	363.370	12.60843	77.52272
42	भीमासंदरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	200.760	12.60248	77.55109
43	लिंगनापुरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	86.030	12.59623	77.55682
44	देवराहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	580.750	12.59633	77.51432
45	मनीयाम्बाल	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	525.640	12.57452	77.48547
46	बचोललहल्लीदोद्दी	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	536.750	12.56723	77.48252
47	मवाथुर	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	311.780	12.55913	77.45992
48	चकनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	768.230	12.54712	77.45471
49	केरेलाल्लुसंदरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	431.050	12.52723	77.44582
50	बेकुप्पे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	248.980	12.50513	77.43422
51	नरायानापुरा	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	525.180	12.48983	77.45042
52	केब्बेहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	1162.370	12.46271	77.44312


53	गरलापुरा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	41.860	12.44473	77.48812
54	दोदकाबल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	115.000	12.44287	77.50427
55	अरकेरे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	303.750	12.46252	77.51849
56	दोद्दागुली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	32.340	12.48132	77.49548
57	हलासुरु	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	222.470	12.47993	77.52352
58	हंचागुली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	297.880	12.48693	77.53202
59	केब्वरे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	186.370	12.50633	77.53272
60	केनगालनात्ता गोलाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	211.630	12.49643	77.53322
61	हेरान्दीअपानहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	18.270	12.48473	77.53992
62	तिप्पुरु	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	11.770	12.46133	77.56892
63	बिजहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	19.630	12.45789	77.57233
64	बोम्मासंदरा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	48.490	12.44093	77.56852
65	होसादुरगा	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	37.960	12.40793	77.57052
66	अनेकादाबुरु	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	255.230	12.40293	77.54292
67	सलबन्नी	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	28.810	12.38831	77.56293
68	गुद्देवीरानाहोसाहल्ली	100 मीटर	कनकपुरा	रामानगरा	29.480	12.37152	77.53851
69	बन्नीमुकोदलु	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	762.440	12.33393	77.56962
70	बलागोंदान	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	130.440	12.36043	77.58432
71	ट्टेकेरे	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	339.210	12.36073	77.57872
72	हुनसनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	746.580	12.36703	77.61792
73	गंगनाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	218.970	12.38803	77.61232
74	बिज्जाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	413.680	12.42363	77.61102
75	कोलागोन्दानाहल्ली	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	969.280	12.46913	77.62522
76	गट्टीगुन्दा	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	1103.370	12.50583	77.60802
77	तेरुवीधि	संपूर्ण ग्राम सीमा	कनकपुरा	रामानगरा	692.620	12.55733	77.58172
कुल :					6896.15		

इन ग्रामों और पालियों में भूमि उपयोग प्रतिरूप में मुख्यतः मानव और मवेशी निवास इकाईयां, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, कृषि योग्य के अंतर्गत मुख्यतः कृषि और उद्यान कृषि फसलें और औद्योगिक इकाईयां हैं।

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भाग के अंतर्गत ग्रामों और पालियों की सूची अर्थात्; हक्कीपिक्की कॉलोनी, गुल्लाट्टीदोद्दी, कनानारे, शिवपुरा, चुधाल्ली, उक्काडा, यातवनात्तादोद्दी, बेत्तागनादोद्दी, सुंदागट्टा, चिक्काबेत्ताहल्ली, दोद्दाबेत्ताहल्ली, बेत्ताहल्लीयारागाडु, बरैयानादोद्दी, अज्जीमाडु, दुर्गानादोद्दी, कलागौदाहल्ली हैं।

उपाबंध-III

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-IV**पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पे मुख्य अवस्थान (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)**

मानचित्र आई डी	दशमलव डिग्री में अक्षांश	दशमलव डिग्री में देशांतर
1	12.83903	77.59572
2	12.8255	77.60632
3	12.80893	77.60712
4	12.77153	77.61352
5	12.76043	77.62342
5	12.73383	77.62302
6	12.70983	77.64782
7	12.70903	77.67132
8	12.68523	77.66782
9	12.55893	77.58182
10	12.50703	77.60802
11	12.47647	77.59023
12	12.36703	77.61792
13	12.36153	77.58232
14	12.33663	77.55262
15	12.36653	77.53982
16	12.40303	77.54292
17	12.42273	77.56222
18	12.44783	77.56442
19	12.46103	77.57272
20	12.48973	77.54572
21	12.47613	77.52032
22	12.47753	77.49502
23	12.46253	77.51842
24	12.45963	77.47322
25	12.43763	77.46022
26	12.46243	77.44222

27	12.49813	77.44612
28	12.54703	77.45462
29	12.56393	77.48102
30	12.57973	77.51402
31	12.61203	77.52632
32	12.60233	77.55252
33	12.62263	77.55442
34	12.64693	77.57012
35	12.67493	77.55492
36	12.67363	77.51972
37	12.69463	77.50102
38	12.72753	77.51382
39	12.74963	77.52222
40	12.78693	77.52282
41	12.81603	77.53972
42	12.79463	77.54292
43	12.79923	77.55812
44	12.81863	77.55512
45	12.82263	77.57412
46	12.83563	77.58132

बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सीमा पे मुख्य अवस्थान (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिंदु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	12.8285	77.59587
2	12.81524	77.57784
3	12.79105	77.56637
4	12.78783	77.59902
5	12.74925	77.60366
5	12.73953	77.57102
6	12.71613	77.55992
7	12.71603	77.60242
8	12.70003	77.63112

9	12.66652	77.6007
10	12.5961	77.59271
11	12.5526	77.55278
12	12.52319	77.58932
13	12.46366	77.5898
14	12.41675	77.60293
15	12.49502	77.6274
16	12.40959	77.62462
17	12.39213	77.58072
18	12.37141	77.53947
19	12.39383	77.56032
20	12.44275	77.57756
21	12.47071	77.55536
22	12.51723	77.52748
23	12.48193	77.49452
24	12.46219	77.47492
25	12.51143	77.46312
26	12.55293	77.48862
27	12.57039	77.51675
28	12.59304	77.54346
29	12.60033	77.57062
30	12.61613	77.58642
31	12.63239	77.57452
32	12.65553	77.58202
33	12.67933	77.57778
34	12.68566	77.55302
35	12.69673	77.52532
36	12.72303	77.53418
37	12.75019	77.53853
38	12.76943	77.54912
39	12.78385	77.54982
40	12.80434	77.56156
41	12.80821	77.56765
42	12.84209	77.58519

उपाबंध-V**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति— की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2016

S.O. 2116(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Bannerghatta National Park lies between the 12° 34' and 12° 50' N latitudes and between 77° 31' and 77° 38' E longitudes and spread over an area of 260.51 square kilometre;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park, is situated in South-Eastern corner of Karnataka State and borders with Cauvery Wildlife Sanctuary in the South and with Thali, Thali extension, Javalagiri Reserved Forests in the Tamil Nadu State on its South-Eastern boundaries to form a contiguous Wildlife Habitat of nearly-1400 square kilometres with the pockets of intact prime habitat for Elephants and other Wildlife species;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park as a terminal point on the northern side of “**Mysore Elephant Reserve**” inhabitates the large Mammal-Asian Elephants that migrate from adjacent Thali reserve Forest of Tamil Nadu State which are contiguous with Cauvery Wildlife Sanctuary. The area has high faunal and floral diversity;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park, has breeding population of Elephants and also supports Leopard, Wild dogs, Gaur, Sambar, Chital, Sloth bear, Slender Loris, Oriental white rumped vultuer, Long-billed vulture, Yellow throated bulbul and other important wildlife species;

AND WHEREAS, the areas of Bannerghatta National Park are covered by dry deciduous and scrub forests with reverine and moist deciduous habitat in the valleys. The main vegetative species in the areas of Bannerghatta National Park includes Anogeissuslatifolia, Acacia catechu, Acacia leucopholea, Tectonagrandis, Santalum album, Shoreatalura, Azadirachtaindica, Terminiliapaniculata, Terminiliachebula, Terminiliatomentosa, Dalbergialatifolia, Lagerstromialanceolata, Ziziphusjuzuba, Dendrocalamusstrictus and others;

AND WHEREAS, Bannerghatta National Park is an important watershed area for the river Arkavathi, Suvarnamukhi, Muthyalamadavu hole, Rayathmala hole, Hebbalahalla and Antharagange that joins the river Cauvery;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around Bannerghatta National Park as Eco-sensitive Zone from Ecological and Environmental point of view to protect wildlife and their habitat therein or its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 4.5 kilometres around the boundary of Bannerghatta National Park in the State of Karnataka as the Bannerghatta National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The total area of the Eco-sensitive Zone is 268.96 square kilometres with an extent varies from 100 meter to 4.5 kilometres around the boundary of Bannerghatta National Park and the boundary details of such zone are given in **Annexure-I**.

(2) The Eco-sensitive Zone covers a total of 77 villages, 17 hamlets (enclosures) that fall within the boundaries of Bannerghatta National Park as given in **Annexure -II** All the enclosure areas forms the part of Eco-sensitive Zone.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary boundary are appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Karnataka Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation,
- (x) Public Works Department.

(6) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(8) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 18, 24,30,31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the ESZ from the boundary of the Bannerghatta National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Karnataka Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or Karnataka Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes.**- Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
8.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism such as flying over the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the delineated zone from the boundary of the Wildlife Sanctuary or Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities . However, within the Eco-sensitive Zone delineated from the boundary of the Bannerghatta National Park all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1 km from the boundary of the Bannerghatta National Park or Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
12.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.

17.	Insulation of electric lines	(i) Promote underground cabling. (ii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground iii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground (iv) For any transmission line more than 11KV the “sag” point between the two towers should be at 15 meters from the ground.
18..	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19..	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws to ensure that it does not hinder the movement of wildlife especially large species such as elephants, tigers, etc.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies,dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted
28.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government for effective monitoring of the Bannerghatta National Park Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Committee for the State of Karnataka to be called the Monitoring Committee,as under:-

Monitoring Committee for the State of Karnataka comprising of the following members, namely:-

i. Regional Commissioner, Mysore

-Chairman

- ii. Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;
- iii. Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;
- iv. Representative of Non-governmental Organisations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year -Member;
- v. The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore -Member;
- vi. An expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year -Member.
- vii. Deputy Commissioner or his representative, Bangalore Urban District - Member
- viii. Deputy Commissioner or his representative, Ramanagara District - Member
- ix. The Deputy Conservator of Forests, Bannerghatta National Park, Bengaluru - Member Secretary.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/12/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the eco-sensitive zone of the Bannerghatta National Park

North: The Boundary of Eco Sensitive Zone of Bannerghatta National Park starts at a point with GPS location 12.844 N, 77.584 E located at distance of 100m from the northern most boundary of Bannerghatta National Park in Pillaganahalli Village. The boundary then moves eastwards maintaining a distance of 100 mtrs along the boundary of Bannerghatta National Park and turns southward moving along the eastern boundary of Bannerghatta National Park till it touches the northern junction of Kalkere to Bannerghatta village boundary and moves in south distance along

the eastern boundary of Bannerghatta Village till it touches the northern most boundary of Gollahalli village and moves north and east boundary of Gollahalli village along the till it touches the Bannerghatta Village boundary and then moves along the east and boundary of Bannerghatta till it touches the northern junction of Bannerghatta and Mantapa village. And then follows the northern and eastern boundary of Mantapa Village. Up till the junction of Manatapa and Bagihalli Village boundary from this point onwards it moves along the northern and eastern boundary of Begihalli Village, till it touches the junction of Begihalli and Bukkasandra Village. Then it moves along the eastern boundary of Bukkasandra Village, Up till touches Kallabalu Village boundary and moves eastward along the northern and eastern boundary of Kallabalu village, till it touches Mahanthalingapura village boundary and runs along the eastern boundary of Mahanthalingapura. Untill it touches the boundary of Kadujakkanahalli village and moves eastward along the Kadujakkanahalli village boundary further it moves southward and westward along the same boundary till it touches the boundary of Bagganadoddi Village. From this point onwards it moves southeast along the boundary of Bagganadoddi Village till it touches the boundary of Indlavadi Village and moves along the northern and eastern boundary of Indlavadi Village till it touches the northern boundary of Indlavadi village. From this point it moves along the eastern boundary of Indlavadi village till it touches the Chikkahosahalli Village boundary and then it moves along the northern and eastern boundary of Chikkahosahalli village until it touches the boundary Thammanayakanahalli. Then it moves along the eastern boundary of Thammanayakanahalli till it touches Tamilnadu Border.

- East:** Then it runs along the Bannerghatta National Park boundary all along the Tamilnadu and Karnataka border untill it reaches the boundary of Therubeedi and then moves westward, southward and eastward along the outer boundary of Therubeedi village. Untill it touches the interstate boundary of Tamilnadu and Karnataka and then again moves southward along the boundary of Bannerghatta National Park until it touches the Gattigunda village boundary and then moves along the eastern boundary of Gatgunda till it touches Kaulagaudanhalli and Bannerghatta national park trijunction and from this point onwards the boundary of eco-sensitive zone coincides with the park boundary until it touches eastern boundary of Hunsanhalli village.
- South:** The boundary starts at the North Eastern corner of Hunsanhalli Village and moves along the southern boundary of Hunsanhalli, Balagondapahalli, Thattekere and Bainimkodalu village in continuation including the whole villages till it touches the Bannerghatta National park boundary and moves along this boundary till it touches the boundary of Guddaveeranahosalli village.
- West:** The western boundary starts at GPS location which is at 100 mtrs distance from the Bannerghatta National Park boundary in Guddaveeranahosahalli village and move northwards all along the National Park boundary at a distance of 100 mtrs in Guddaveeranahosahalli and Salbanni village till it touches the junction of Anekadaburu and Bannerghatta National Park boundary from this point onwards in travels along the boundary of Anekadaburu till it touches the tri junction of boundary of Hosadurga, Bannerghatta National Park and Anekadaburu. From this point onwards the boundary line of Eco Sensitive Zone runs parallel to Bannerghatta National Park boundary at a distance 100 mtrs passing through Hosadurga, Bommasandra, Bijahalla, Tipitura, Herandyapanahalli, till it touches the boundary of Hanchaguli village. From here the line travels in western direction along the southern boundaries of Hanchaguli and Halasuru village till it reaches the tri junction of Doddahalli, Bannerghatta National Park and Halasuru and from here line travels parallel to Bannerghatta National Park boundary at a distance of 100 mtrs through Doddaguli village till it touches Arkere village boundary. From here the line travels eastern along northern boundary of Arkere and later along eastern boundaries of Arkere and Dodkaballi village untill it touches the tri junction of Dadkaballi, Bannerghatta National Park and Garlapura. From this point the line runs parallel to Bannerghatta National Park boundary at a distance of 100 mtrs from it till it reaches the tri junction of Bannerghatta National Park Garlapura and Kebbehalli and then runs up to southern most point of Kebbehalli village. From here the line runs along western boundaries of villages Kebbehalli, Narayanapura, Bekuppe, Kerelellusandra, Chakanahalli, Mavathur, Bacholhallidoddi, Maniyambal, Tokasandra, Hosadoddi, Devanahalli, Doddamanalavadi, Yalachavadi, Kallanakuppe, Kalalagundi, Thatekere and then in continuation along the Southern boundary of Biliganakuppe, Goduru, Attiguppe, Jakkasandra, and then continue along western boundary of Jakkasandra, Gottigehalli, Vaddarapalaya and Thatteguppe. From this point it moves along northern boundary of Thattaguppe

in east directions till it touches the Taralu village boundary and travels along northern boundary of Taralu and Gulakamale till it touches Bhuthanahalli village boundary. From here it travels southward along Gulakamale and Bhuthanahalli village boundary till it touches the point 100 mtrs away from Bannerghatta National Park. From here it travels northward parallel to the Bannerghatta National Park boundary at a distance of 100 metres till it joins the starting point at Pilliganahalli.

Annexure-II

Bannerghatta National Park consists of the following 83 adjacent villages (or part of the villages) and hamlets as given below all falling under Bangalore South, Anekal and Kanakapura Talukas. The table shows distance of Eco-sensitive zone from Boundary of Bannerghatta National Park to the following adjacent villages.

Map Id	Village name	Eco sensitive zone distance from Bannerghatta National Park Boundary	Taluk	District	Extent (ha)	Latitude	Longitude
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Piliganahalli	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	0.180	12.83756	77.57968
2	Gottigere	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	8.940	12.84203	77.58212
3	Basavanpura	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	13.420	12.84113	77.58992
4	Hommadevanahalli	100 mtr	Bangalore south	Bangalore Urban	12.420	12.83573	77.59442
5	Kalkere	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	37.970	12.82851	77.59234
6	Vaderahalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	74.800	12.82523	77.60612
7	Gollahalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	70.900	12.82013	77.59222
8	Bannerghatta	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	427.990	12.81003	77.58952
9	Byrappanahalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	136.360	12.79813	77.58562
10	Mantapa	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	432.090	12.80883	77.60712
11	Begihalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	207.650	12.79213	77.61622
12	Bukkasandra	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	344.540	12.77533	77.61202
13	Kallabalu	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	89.530	12.77173	77.61972
14	Mahalingapura	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	741.700	12.76033	77.62342
15	Ragihalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	433.240	12.72323	77.59712
16	Sivanahalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	965.850	12.72163	77.59842
17	Kadujakkanahalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	372.240	12.73547	77.64429
18	Bagganadoddi	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	583.880	12.73123	77.62722
19	Thattekere	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	70.050	12.7174	77.59957
20	Indlavadi	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	216.730	12.72693	77.64822


21	Indlavadipura	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	321.600	12.71293	77.64712
22	Chikka Hosahalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	277.210	12.70911	77.67133
23	Tammanayakanahalli	Entire village boundary	Anekal	Bangalore Urban	983.870	12.69187	77.65008
24	Bilwaradahalli	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	35.640	12.82444	77.57511
25	Bhuthanahalli	100 mtr	Anekal	Bangalore Urban	63.120	12.81493	77.55312
26	Gulakamale	Entire village boundary	Bangalore south	Bangalore Urban	260.060	12.80533	77.52732
27	Taralu	Entire village boundary	Bangalore south	Bangalore Urban	320.720	12.78723	77.52342
28	Tataguppe	Entire village boundary	Bangalore south	Bangalore Urban	215.300	12.77953	77.52602
29	Vaddara palya	Entire village boundary	Bangalore south	Bangalore Urban	671.240	12.75173	77.51362
30	Gottigehalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	724.970	12.7301	77.50427
31	Jakkasandra	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	544.300	12.69203	77.49992
32	Gullatikaval	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	241.170	12.68271	77.51925
33	Attiguppe	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	325.210	12.67371	77.51971
34	Goduru	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	318.090	12.66687	77.55212
35	Biliganakuppe	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	367.870	12.67313	77.55772
36	Tattekere	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	400.320	12.66492	77.56091
37	Kolalagundi	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	385.200	12.65112	77.56451
38	Kallanakuppe	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	740.060	12.62189	77.5545
39	Katrinath	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	469.650	12.60973	77.57652
40	Yalachavadi	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	1011.650	12.6037	77.55267
41	Doddamanalavadi	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	363.370	12.60843	77.52272
42	Bhemasandra	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	200.760	12.60248	77.55109
43	Linganapura	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	86.030	12.59623	77.55682
44	Devrahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	580.750	12.59633	77.51432
45	Maniyambal	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	525.640	12.57452	77.48547
46	Bacholhallidoddi	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	536.750	12.56723	77.48252
47	Mavathur	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	311.780	12.55913	77.45992
48	Chakanahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	768.230	12.54712	77.45471
49	Kerelallusandra	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	431.050	12.52723	77.44582

50	Bekuppe	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	248.980	12.50513	77.43422
51	Narayanapura	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	525.180	12.48983	77.45042
52	Kebbehalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	1162.370	12.46271	77.44312
53	Garalapura	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	41.860	12.44473	77.48812
54	Dodkaballi	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	115.000	12.44287	77.50427
55	Arkere	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	303.750	12.46252	77.51849
56	Doddaguli	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	32.340	12.48132	77.49548
57	Halasuru	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	222.470	12.47993	77.52352
58	Hanchaguli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	297.880	12.48693	77.53202
59	Kebbre	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	186.370	12.50633	77.53272
60	Kengalanatta Gollahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	211.630	12.49643	77.53322
61	Herandyapanhalli	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	18.270	12.48473	77.53992
62	Tippuru	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	11.770	12.46133	77.56892
63	Bijhalli	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	19.630	12.45789	77.57233
64	Bommasandra	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	48.490	12.44093	77.56852
65	Hosadurga	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	37.960	12.40793	77.57052
66	Anekadaburu	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	255.230	12.40293	77.54292
67	Salbanni	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	28.810	12.38831	77.56293
68	Guddeveeranahosahalli	100 mtr	Kanakpura	Ramanagara	29.480	12.37152	77.53851
69	Bannimukodlu	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	762.440	12.33393	77.56962
70	Balagondanahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	130.440	12.36043	77.58432
71	Tattekere	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	339.210	12.36073	77.57872
72	Hunsanahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	746.580	12.36703	77.61792
73	Ganganahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	218.970	12.38803	77.61232
74	Bijjahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	413.680	12.42363	77.61102
75	Kolagondanahalli	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	969.280	12.46913	77.62522
76	Gattigunda	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	1103.370	12.50583	77.60802
77	Terubedhi	Entire village boundary	Kanakpura	Ramanagara	692.620	12.55733	77.58172
Total:					6896.15		

The land use pattern in these villages and hamlets are mainly human and cattle dwelling units, schools, health centers, roads, arable lands mainly under agricultural and horticultural crops and industrial units.

List of villages or hamlets inside Bannerghatta National Park are part of Eco sensitive Zone namely; Hakkipikki Colony, Gullattidoddi, Kananare, Shivapura, Chudhalli, Ukkada, Yatavanattadoddi, Bettaganadoddi, Sundagatta, Chikkabettahalli, Doddabettahalli, Bettahalliaragadu, Bariyanadoddi, Ajjimadu, Durganadoddi, Kalagaudahalli.

ANNEXURE-III



Annexure-IV

KEY LOCATIONS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM POINTS) ON THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Map id	Latitude in Decimal Degrees	Longitude in Decimal Degrees
1	12.83903	77.59572
2	12.8255	77.60632
3	12.80893	77.60712
4	12.77153	77.61352
5	12.76043	77.62342
5	12.73383	77.62302
6	12.70983	77.64782
7	12.70903	77.67132
8	12.68523	77.66782
9	12.55893	77.58182
10	12.50703	77.60802
11	12.47647	77.59023
12	12.36703	77.61792
13	12.36153	77.58232
14	12.33663	77.55262
15	12.36653	77.53982
16	12.40303	77.54292
17	12.42273	77.56222
18	12.44783	77.56442
19	12.46103	77.57272
20	12.48973	77.54572
21	12.47613	77.52032
22	12.47753	77.49502
23	12.46253	77.51842
24	12.45963	77.47322
25	12.43763	77.46022
26	12.46243	77.44222
27	12.49813	77.44612
28	12.54703	77.45462
29	12.56393	77.48102
30	12.57973	77.51402
31	12.61203	77.52632
32	12.60233	77.55252
33	12.62263	77.55442
34	12.64693	77.57012
35	12.67493	77.55492
36	12.67363	77.51972

37	12.69463	77.50102
38	12.72753	77.51382
39	12.74963	77.52222
40	12.78693	77.52282
41	12.81603	77.53972
42	12.79463	77.54292
43	12.79923	77.55812
44	12.81863	77.55512
45	12.82263	77.57412
46	12.83563	77.58132

KEY LOCATIONS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM POINTS) ON THE BANNERGHATTA NATIONAL PARK BOUNDARY

Map id	Latitude	Longitude
1	12.8285	77.59587
2	12.81524	77.57784
3	12.79105	77.56637
4	12.78783	77.59902
5	12.74925	77.60366
5	12.73953	77.57102
6	12.71613	77.55992
7	12.71603	77.60242
8	12.70003	77.63112
9	12.66652	77.6007
10	12.5961	77.59271
11	12.5526	77.55278
12	12.52319	77.58932
13	12.46366	77.5898
14	12.41675	77.60293
15	12.49502	77.6274
16	12.40959	77.62462
17	12.39213	77.58072
18	12.37141	77.53947
19	12.39383	77.56032
20	12.44275	77.57756
21	12.47071	77.55536
22	12.51723	77.52748
23	12.48193	77.49452
24	12.46219	77.47492
25	12.51143	77.46312
26	12.55293	77.48862
27	12.57039	77.51675
28	12.59304	77.54346
29	12.60033	77.57062
30	12.61613	77.58642

31	12.63239	77.57452
32	12.65553	77.58202
33	12.67933	77.57778
34	12.68566	77.55302
35	12.69673	77.52532
36	12.72303	77.53418
37	12.75019	77.53853
38	12.76943	77.54912
39	12.78385	77.54982
40	12.80434	77.56156
41	12.80821	77.56765
42	12.84209	77.58519

ANNEXURE-V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. [Attach minutes of the meeting as separate Annexure].
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
[Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.